

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :- 2/अ०प्र०-1-76/24 - 1866

/पटना, दिनांक :- 18.06.24

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा अररिया जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 अंतर्गत दिनांक 18.06.2024 को बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए कार्य से संबंधित अभियंताओं एवं संवेदक को जिम्मेवार माना गया है।


प्रतिवेदन के अनुसार श्री अंजनी कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल उक्त पुल के निर्माण कार्य से सम्बद्ध रहे हैं एवं इनके द्वारा कर्तव्यहीनता बरती गयी है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अंजनी कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-76/24 - 1867

/पटना, दिनांक:- 18.06.24

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
18/6/24

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-76/24-1867

/पटना, दिनांक:- 15.06.24

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
18/6/24

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-1-76/24-1867

/पटना/दिनांक:- 15.06.24

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/सुपौल/वीरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-6/श्री अंजनी कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
18/6/24

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-76/24-1867

/पटना/दिनांक:- 15.06.24

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव
18/6/24

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-76/24-1867

/पटना/दिनांक:- 15.06.24

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
18/6/24